FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0014 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/01/2025 16:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 27/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/01/2025 **Time (समय):** 12:50 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/01/2025 16:42:04 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 275 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KOTARI CHAORAHA SE UNDER BRIDGE SERVICE LEN PER, BHILWARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** parasmal panwar

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 02/05/1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	sargaro ka bas, raypur pali, JAITARAN, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	sargaro ka bas, raypur pali, JAITARAN, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PUSHPENDRA SINGH		पिता:BAHADUR SINGH	1. GRAM MANPURA VAYA SAYARA,GOGUNDA,UDAIPUR, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,90,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,90,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, निवेदन है कि दिनांक 25.12.2024 को मन् पारसमल, उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम को गोपनीय सूचना मिली कि मांडलगढ रेंजर श्री पुष्पेन्द्र सिंह मांडलगढ में अपने सरकारी आवास एवं कार्यालय पर खनन माफियाओं से मिलीभगत कर वन विभाग की भूमि मे अवैध खनन करवाने की एवंज में खनन माफियाओ एवं दलालो से भारी रिश्वत राशि एकत्रित कर रिश्वत राशि को 1-2 दिवस मे डी.एफ.ओ. भीलवाडा को देगा, सूचना पर मन् पारसमल, उप अधीक्षक, द्वारा ब्यूरो मुख्यालय से उचित निर्देश प्राप्त कर प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु कार्यालय हाजा के श्री राजेश कुमार उपनिरीक्षक, श्री खालिदहुसैन हैड कानि 88, श्री प्रेमराज कानि 225, श्री पवन कुमार कानि 417, श्री राजवीर कानि. 58 को हमराह लेकर संदिग्ध अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह के भीलवाडा आने जाने के रूट पर निगरानी प्रारम्भ की तथा श्री नेमीचंद, सहायक उपनिरीक्षक को संदिग्ध अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह के रेंजर कार्यालय मांडलगढ एवं उसी मे बने सरकारी आवास की निगरानी हेतु को मामूर किया गया। दिनांक 26.12.2024 को प्राप्त सूचना की तस्दीक होने पर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा से दो स्वतन्त्र गवाह भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर श्री मनोज कुमार चन्देल, पटवारी, पटवार, हल्का-आरजिया, जिला भीलवाडा व श्री गोविन्द व्यास, पटवारी, पटवार हल्का-गठिलाखेडा, जिला भीलवाडा को बतौर गवाह उपस्थित आये। जिनको गोपनीय कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। मुखबीर से दिनांक 27.12.2024 को पुनः सूचना प्राप्त हुई कि श्री पुष्पेन्द्र सिंह रेंजर आज ही अपनी सरकारी वाहन बोलेरो कैम्पर आर.जे. 14 जी.क्यू 9781 से खनन माफियाओ एवं दलालो से एकत्रित की गई, रिश्वत राशि लेकर भीलवाडा आयेगा, उक्त सूचना पर श्री नेमीचंद ए.एस.आई. को संदिग्ध अधिकारी के आवास के आस पास निगरानी रखने के निर्देश दिये, तथा श्री खालिदहुसैन हैड कानि व श्री प्रेमराज कानि 225 को प्राईवेट वाहन से आरोपी के मांडलगढ से भीलवाडा आने वाले रास्ते पर निगरानी रखने के निर्देश दिये तथा कानि. पवन कुमार को निगरानी हेतु ग्राम सवाईपुर मांडलगढ भीलवाडा रूट पर प्राईवेट वाहन से निगरानी हेतु भिजवाया गया। समय 11.10 ए.एम. के लगभग श्री नेमीचंद ए.एस.आई. ने जरिये वॉटसएप कॉल कर मुझ उप अधीक्षक को बताया कि रेंजर श्री पुष्पेन्द सिंह सरकारी बोलेरो कैम्पर नंबर आर.जे. 14 जी.क्यू 9781 से भीलवाडा के लिए अभी-अभी निकला है। उक्त सूचना पर मन् उप अधीक्षक मय राजेश कुमार एस.आई. श्री राजवीर कानि व दोनो स्वतन्त्र गवाह मय ट्रैप बाक्स व प्राईवेट वाहन के कार्यालय से समय 11.20 ए.एम. पर रवाना होकर कोटडी चौराहा अडंर ब्रिज सर्विस लेन पर पहुँचा, तथा वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.क्यू 9781 के आने के इन्तजार मे मय गवाहान मुकिम हुआ तथा श्रीमान उपमहानिरीक्षक भ्र.निब्यूरो अजमेर के निर्देशानुसार श्रीमति कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो इन्टलीजेंस यूनिट अजमेर से इमदाद हेतु उपस्थित हुई। वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.क्यू 9781 के ग्राम सवाईपुर से भीलवाडा की तरफ निकलने की ताईद की तत्पश्चात श्री खालिद हुसैन, हैड कानि ने भीलवाडा रूपाहेली चौराहा से भी उक्त वाहन बोलेरो की भीलवाडा की तरफ आने की ताईद की, जिनको मन् उप अधीक्षक द्वारा उक्त सरकारी वाहन बोलेरो कैम्पर नंबर आर.जे. 14 जी.क्यू 9781 के पीछे - पीछे आने के निर्देश दिये। समय 12.00 पी.एम. पर बोलेरो कैम्पर नंबर आर.जे. 14 जी.क्यू 9781 कोटडी चौराहा से अडंर ब्रिज सर्विस लेन पर आती हुई नजर आयी, जिसको मन् उप अधीक्षक ने मय जाप्ता गवाहान की उपस्थिती मे हाथ का ईशारा देकर रूकवाया तथा वाहन मे ड्राईवर की बगल वाली आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह उम्र 45 साल निवासी ग्राम मानपुरा वाया सायरा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी (रेंजर) मांडलगढ जिला भीलवाडा होना बताया। निर्देशानुसार श्री पवन कुमार कानि0 417 एवं श्री खालिद हुसैन हैड कानि 88, श्री प्रेमराज कानि0 225 भी उक्त वाहन के पीछे-पीछे मौके पर उपस्थित आये, एवं श्रीमति कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक, एसयू अजमेर मय टीम के मौके पर उपस्थित आयी तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वाहन को एक तरफ खडा करवाकर वाहन बोलेरो कैम्पर नंबर आर.जे. 14 जी.क्यू 9781 मे बैठे चारो व्यक्तियो को वाहन से नीचे उतार कर मन उप अधीक्षक ने स्वयं का एवं एसीबी टीम तथा गवाहान का परिचय देकर आने का मंतव्य बताया। तत्पश्चात श्री प्रेमराज कानि0 को मौके पर की जा रही कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिकोर्डिंग के निर्देश दिये जाकर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री अब्दुल हकीम पुत्र श्री अब्दुल सतार जाति मुसलमान (देशवाली) उम्र 58 साल निवासी नई आबादी, मांडलगढ जिला-भीलवाडा हाल पशु रक्षक, रेंजर कार्यालय मांडलगढ जिला भीलवाडा एवं पीछे की सीट बैठे

व्यक्तियो से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री दुर्गासिंह उम्र 32 वर्ष जाति राजपूत निवासी गांव अमरतिया पुलिस थाना बडलियास, जिला शाहपुरा हाल वन रक्षक, वनपाल नाका मैनाल रेंजर कार्यालय मांडलगढ जिला भीलवाडा होना बताया व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री अजय शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा उम्र 39 साल निवासी कोट द्वारा उतराखंड हाल निवास हाई स्कूल के पास, गौतम आश्रम के पास मांडलगढ हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी रेंजर कार्यालय मांडलगढ जिला भीलवाडा होना बताया। तत्पश्चात गवाहान के समक्ष उक्त वाहन बोलेरो कैम्पर नंबर आर.जे. 14 जी.क्यू 9781 की मौके पर ही तलाशी ली गई तो वाहन के बांयी तरफ बने डेस बोर्ड को खोलकर चैक किया तो 500-500 रूपये की दो गडिया मिली, जिसमे कुल 90,000 रूपये तथा एक सफेद कपडे की थैली मिली, जिसमें एक पैकेट मिला, जिस पर अखबार व सफेद टेप लगी हुई थी, गवाह श्री गोविन्द व्यास से मौके पर ही टेप व अखबार को हटाया गया तो 500-500 रूपये की दो गडिया मिली, जिनको गिनवाया गया तो 1,00,000 रूपये होना पाये गये तथा समस्त नोटो की गडियो को मौके पर ही गवाहान से गिनवाया गया तो कुल 190,000 रूपये मिले, जिस पर मन् उप अधीक्षक द्वारा मौके पर ही रेंजर श्री पुष्पेन्द सिंह से उक्त संदिग्ध 190,000 रूपये राशि को बोलेरो मे लेकर मांडलगढ से भीलवाडा आने के संबंध मे पूछने पर बताया कि यह राशि मैं घर से लेकर आया हॅू, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मौके पर ही उक्त राशि को गड्डियों मे पैक कर अपने पास रखने के संबंध में मौके पर पूछा तो बताया कि उक्त राशि मैं अपने घर से ही ऐसे ही लेकर आया था, तथा मुझे आज गांव जाना था इसलिए सरकारी गाडी लेकर आया हॅू। मौके पर श्री पुष्पेन्द्र सिंह की जामा तलाशी ली गई तो आरोपी की जेब मे रखे पर्स मे कुल राशि 3720 रूपये एवं एक मोबाईल फोन मिला, चूंकि मौके पर हाईवे अंडर ब्रिज सर्विस लेन है तथा वाहनो का आवागमन ज्यादा होने से मौके से अग्रिम कार्यवाही करने हेतु समय 12.30 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय जाप्ता मय वाहन मय उक्त चारो संदिग्ध व्यक्ति और वाहन के रवाना होकर पुलिस थाना सदर भीलवाडा पहॅुचे, निर्देशानुसार श्रीमति कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक को श्री पुष्पेन्द्र सिंह के सरकारी आवास एवं रेंजर कार्यालय मांडलगढ की तलाशी हेतु रवाना किया गया तथा थानाधिकारी मांडलगढ को जरिये मोबाईल फोन निर्देश दिये की श्री पुष्पेन्द्र सिंह के सरकारी आवास व कार्यालय की सुरक्षा हेतु थाना स्टाफ भिजवाये। पुलिस थाना सदर पहॅुचने पर थानाधिकारी श्री उगमाराम उपनिरीक्षक उपस्थित मिले, जिनको कार्यालय मे अग्रिम कार्यवाही हेतु कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया तो थानाधिकारी द्वारा थाना परिसर मे कक्ष उपलब्ध करवाया गया। जहां पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई । वाहन बोलेरो कैम्पर नंबर आर.जे. 14 जी.क्यू 9781 की बीच की सीट मे मिले दस्तावेज रिकॉर्ड का विवरण इन्द्राज किया गया। दौराने कार्यवाही संदिग्ध अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह के वाहन मे मिली संदिग्ध राशि 1,90,000 रूपये के संबध में पुनः स्पष्टीकरण लिया गया कि आपको यह राशि गड्डी मे पैक कर किसने दी, तो बताया कि मुझे मांगने वाले ने दी थी, श्री पुष्पेन्द्र सिंह से यह पूछा गया कि इस पैक गड्डी को आपने खोल कर चैक किया या नही तो कहा कि मैंने चैंक नही किया जिसने मुझे पैसे दिये उसी ने मुझे गड्डी मे पैक करके दिये है। गड्डी मे पैक कर पैसे देने वाले का नाम पूछा तो कहा कि उसका नाम मुझे याद नही है। तथा यह पूछा गया कि यह राशि अवैध खनन की होकर आप द्वारा डी.एफ.ओ. श्री गौरव गर्ग भीलवाडा को देने के लिए जा रहे हो, तो कहा कि यह कोई अवैध खनन की राशि नही है मांडलगढ मे सारा ही अवैध खनन बंद है। तत्पश्चात वाहन के चालक श्री अब्दुल हकीम, पशु रक्षक, रेंजर कार्यालय मांडलगढ जिला भीलवाडा को उक्त संदिग्ध राशि के बारे मे पूछा गया तो बताया कि सरकारी वाहन चालक श्री पवन कुमार मीणा जो ए.सी.एफ. मैडम सुश्री पायल माथुर को छोडने के लिए दिनांक 25.12.2024 को जहाजपुर गया हुआ है। जो आज भी कार्यालय पर उपस्थित नही हुआ, इसलिए रेंजर साहब पुष्पेन्द्र सिंह जी ने मुझे भीलवाडा तक वाहन चलाने के लिए कहा था तो मैं सरकारी वाहन बोलेरो कैम्पर को लेकर पुष्पेन्द्र सिंह के साथ भीलवाडा आ गया था। वाहन मे मिली संदिग्ध राशि 1,90,000 रूपये के बारे मे पूछने पर बताया कि उक्त राशि के संबध मे मुझे कोई जानकारी नही है। इस राशि के संबंध मे पुष्पेन्द्र सिंह जी ही बता सकते है। मै तो सिर्फ इनके कहने से बतौर वाहन चालक आया हॅू। तत्पश्चात श्री लोकेन्द्र सिंह, वन रक्षक, वनपाल नाका मैनाल रेंजर कार्यालय मांडलगढ जिला भीलवाडा का स्पष्टीकरण लिया गया तो बताया कि मैं रात्रि मे मेरे गांव अमरतिया गया था तथा सुबह मुझे मेरे ड्यूटी स्थल मैनाल जाना था, लेकिन रेंजर साहब श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी ने मुझे सवाईपुर से मुझे सरकारी वाहन बोलेरो कैम्पर मे बिठा लिया, तथा कहा कि भीलवाडा चलकर आ रहे है इसलिए मैं इनके साथ गाडी में आ गया। श्री लोकन्द्र सिंह से वाहन मे मिली संदिग्ध राशि 1,90,000 रूपये के संबंध मे पूछने पर कहा कि मैं तो बीच रास्ते से बैठा था मुझे इस राशि के बारे मे कुछ भी पता नही है। इस राशि के बारे मे श्री पुष्पेन्द्र सिंह रेंजर साहब ही बता सकते है। तत्पश्चात श्री अजय शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रेंजर कार्यालय मांडलगढ जिला भीलवाडा से पूछताछ की गई तो बताया कि मुझे आज सुबह 10 बजे डी.एफ.ओ. कार्यालय भीलवाडा मे ई ग्रीन वॉच एप के संबंध विभागीय जानकारी हेतु भीलवाडा आना था, तो मैं विलम्ब होने से रेंजर साहब श्री पुष्पेन्द्र सिंह के साथ उनकी सरकारी वाहन बोलेरो कैम्पर मे बैठ गया था। श्री अजय शर्मा से सरकारी वाहन के डेस बोर्ड मे मिली संदिग्ध राशि 1,90,000 रूपये के संबंध में पूछने पर बताया कि इस राशि के संबध मे मुझे कोई जानकारी नही है तथा यह राशि किसको देने के लिए ला रहे थें, इसके बारे मे मुझे कोई जानकारी नही है। इस संदिग्ध राशि के बारे मे श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी ही बता सकते है। श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह उम्र 45 साल निवासी ग्राम मानपुरा वाया सायरा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी (रेंजर)

मांडलगढ जिला भीलवाडा द्वारा मौके पर एवं दौराने कार्यवाही वाहन सरकारी बोलेरो कैम्पर नंबर आर.जे. 14 जी.क्यू 9781 के डेसबोर्ड में मिली संदिग्ध राशि 1,90,000 रूपये के संबध मे दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नही पाये जाने पर उक्त संदिग्ध राशि 1,90,000 रूपये कब्जे ए.सी.बी. ली गई। दौराने कार्यवाही श्री पुष्पेन्द्र सिंह, क्षैत्रीय वन अधिकारी (रेंजर) मांडलगढ जिला-भीलवाडा की जामा तलाशी लिवायी गई तो श्री पुष्पेन्द्र सिंह की जामा तलाशी में मिले एक पर्स मे 3720 रूपये नगद, एक ड्राईविग लाईसेन्स, विभागीय परिचय पत्र, एक एस.बी.आई. बैक का ए.टी.एम. जिसके कार्ड नंबर 6074 3101 5450 1325 तथा खाता संख्या पूछने पर 51084001949 होना बताया व बैक आंफ बडौदा का एक ए.टी. एम. कार्ड जिसके कार्ड नंबर 4029 8550 0882 3284 तथा खाता संख्या ज्ञात नही होना बताया। एक आईफोन 15 प्रो जिसके आई.एम.ई.आई. नंबर 356176842255133 व 356176842243055 होकर जिसमे एयरटेल कम्पनी की सिम लगी होकर जिसके सिम कार्ड नंबर [redacted] है। उक्त फोन के संबध मे संदिग्ध अधिकारियो, कर्मचारीयो की प्राप्त सूचना से संबंधित विस्तृत जांच हेतु श्री पुष्पेन्द्र सिंह, रेंजर का मोबाईल नंबर [redacted] एवं श्री लोकेन्द्र सिंह, वन रक्षक, वनपाल नाका मैनाल रेंजर कार्यालय मांडलगढ जिला भीलवाडा के पास मिले मोबाईल वन प्लस कम्पनी बरंग काला जिसके आई.एम.ई.आई. नंबर 8657860691928533 व 865780069192525 जिसमें एक एयरटेल का सिम कार्ड लगा होकर जिसके नंबर [redacted] व जीओ कम्पनी का सिम कार्ड लगा होकर जिसके नंबर [redacted] में मिली संदिग्ध वॉटसएप चैट की कानि श्री पवन 417 के मोबाईल फोन से पी.डी.एफ. तैयार करवायी जाकर प्रिन्ट निकलवाया जाकर गवाहान व संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री पुष्पेन्द्र सिंह रेंजर एंव श्री लोकेन्द्र सिंह वनपाल नाका मैनाल के मोबाईल को जांच हेतु कब्जे ए.सी.बी. लिया जाकर जरिये फर्द जप्ती के जप्त किया गया। मौके पर की गई कार्यवाही एवं सम्पूर्ण आकस्मिक चैकिंग की श्री प्रेमराज कानि 225 के मोबाईल फोन से आंडियो विडियो रिकोर्डिंग का मेमोरी कार्ड तैयार कर हैशवेल्यु निकलवायी जाकर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये, उसी मेमोरी कार्ड से ऑडियो विडियो रिकोर्डिंग के तीन पैन ड्राईव तैयार करवाये जाकर एक पैन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु एंव दूसरा पैन ड्राईव आरोपी हेतु सिल्ड किया जाकर संबधित के हस्ताक्षर करवाये गये एक अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किया गया। दौराने जांच आकस्मिक चैकिंग श्री पुष्पेन्द्र सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी (रेंजर) मांडलगढ, जिला-भीलवाडा के जी.ए.-55, पे स्लिप प्राप्त किये गये। श्री पुष्पेन्द्र सिंह के एस.बी.आई बैंक खाता संख्या 51084001949 एवं बैक ऑफ बडौदा के खाता संख्या 32000100021628 की खाता स्टेटमेन्ट तथा श्री पुष्पेन्द्र सिंह की पत्नी श्रीमति शकुन्तला राठौड के एच.डी.एफ.सी. बैक के खाता संख्या 50100213754851 व आई.सी.आई.सी.आई. बैंक खाता संख्या 746001500585 बैक की दिनांक 01.12.2024 से दिनांक 27.12.2024 तक के खाता स्टेटमेन्ट प्राप्त किये गये तथा श्री पुष्पेन्द्र सिंह को प्राप्त होने वाले वेतन प्रतिमाह 54,819.00 रूपये प्रतिमाह वेतन खाते मे जमा हो रहे है। श्री पुष्पेन्द्र सिंह के मोबाईल फोन मे जब्बार नामक व्यक्ति द्वारा की गई वॉटसएप चैट का विश्लेषण किया गया तो निम्न तथ्य उजागर हुए है। श्री पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 27.12.2024 को वाहन सरकारी बोलेरो कैम्पर नंबर आर.जे. 14 जी.क्यू 9781 के डेसबोर्ड में मिली संदिग्ध राशि 1,90,000 रूपये के संबंध मौके पर एवं कार्यवाही के दौरान कोई सन्तोषजनक जवाब नही दिया गया। श्री पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा 1,90,000 रूपये की राशि में 1,00,000 रूपये की राशि अखबार पैकिट बना कर अपने साथ लाने के संबंध में पूछताछ की तो श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि मुझे यह पैकिट मे राशि देने वाले ने ऐसे ही पैकिेट बनाकर दिया, जिस पर पैकिट देने वाले का नाम पुछा तो उस व्यक्ति का नाम याद नही होना बताया। श्री पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा उक्त 1,90,000 रूपये की राशि स्वयं द्वारा या अपनी पत्नी द्वारा खाते से दिनांक 25.12.2024 से दिनांक 27.12.2024 तक कोई केश विड्रोल नही किया जाना पाया गया। श्री पुष्पेन्द्र सिंह के मोबाईल नंबर [redacted] के वॉटसएप डिटेल में एम. जब्बार नामक व्यक्ति द्वारा की गई वॉटसएप चैट में जब्बार द्वारा लिखा कि "सलीम किशनगढ का अभी पिसा आया मेरे पास" जिसको श्री पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा ओके किया गया है। प्राईवेट व्यक्ति जब्बार द्वारा 6735 नंबर एवं भगवान माली का पिसा मेरे पास है, जिसको श्री पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा ओके किया है। अन्य व्हाट्सअप चेट मैसेज जिसमें मजीद आर जे 30 7571 एवं ईसकाबी आ गया मेरे पास अभी व्हाट्सअप मैसेज सोराफ का पिसा मेरे पास का व्हाट्सअप चेट पाई गई। उक्त व्हाट्सअप चेट के संबध में श्री पुष्पेन्द्र सिंह का स्पष्टीकरण लिया गया जो संतोषजनक नही पाया गया। इस प्रकार दिनांक 27.12.2024 को सरकारी वाहन बोलेरो कैम्पर नंबर आर.जे. 14 जी.क्यू 9781 के डेसबोर्ड में श्री पुष्पेन्द्र सिंह के पास मिली संग्दिध राशि 1,90,000 रूपये जो पुष्पेन्द्र सिंह की एक दिवसीय आय 1827.00 रूपये से कई गुना अधिक होना पायी गई। श्री पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा उक्त अवैध राशि 1,90,000 रूपये खनन माफियाओं एवं दलालो से मिलीभगत कर वन विभाग की भूमि मे अवैध खनन करवाने की एवंज में दलालो से एकत्रित की गई रिश्वत राशि होना पायी गई। श्री पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा उक्त राशि को अपने वैध स्त्रोतो से प्राप्त आय सिद्ध करने मे असफल रहा है तथा अपने मांडलगढ में क्षैत्रीय वन अधिकारी (रेंजर) के पद पर रहते हुए अवैध व अनुचित साधनो से उक्त अवैध राशि 1,90,000 रूपये प्राप्त कर स्वयं को सम्पन्न बनाना पाया गया। श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह राणावत, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम मानपुरा, वाया सायरा, तहसील-गोगुन्दा जिला-उदयपुर हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम (रेंजर) रेंज मांडलगढ जिला-भीलवाडा का उक्त कृत्य धारा 7, 13(1)बी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाता है। अन्य संदिग्ध दलालों एवं लोकसेवकों की भूमिका विस्तृत अनुसंधान से स्पष्ट

हो सकेगी। अतः आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह राणावत, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम मानपुरा, वाया सायरा, तहसील-गोगुन्दा जिला-उदयपुर हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम (रेंजर) रेंज मांडलगढ जिला-भीलवाडा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाती है। (पारसमल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम ....कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13(1)बी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह राणावत, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम मानपुरा, वाया सायरा, तहसील-गोगुन्दा जिला-उदयपुर हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम (रेंजर) रेंज मांडलगढ जिला-भीलवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रमती कल्पना बंशीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 482 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 70-73 दिनांक 28.01.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर। 3. उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]1/2025 1[illegible]6

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/06/1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)